न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

अन्तर्गत धाराः- 88, 53 आर.टी.ए.

संख्याः- 464/2025

कुलदीप सिंह पुत्र श्री रण सिंह, जाति जटसिख निवासी जोइकिया, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-:वादी

बनाम

धन सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, जाति जटसिख निवासी जोइकिया, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 रण सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, जाति जटसिख निवासी जोइकिया, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 गुरदीप सिंह पुत्र श्री रण सिंह जाति जटसिख निवासी जोडकिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5 सर्वजीत कौर पुत्री श्री रण सिंह पत्नी श्री गुरदास सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

6 गुरपिन्द्र कौर पुत्री श्री रण सिंह पत्नी श्री गुरलाल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नंबर 11, ढाणी नजदीक नहर चक 7 एल.जी.डब्ल्यू. बिलौचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री सुरेश झाझडीया अधिवक्ता - वादी
2. श्री सुरेन्द्र सहारण अधिवक्ता - प्रतिवादी सख्या 1 ता 2, 4 ता 6
3. राज पैरोकार - प्रतिवादी सख्या 3

-:निर्णयः-

दिनांक 21.11.2025 .....अधिवक्ता

वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम से संयुक्त खाता में निम्नलिखित विवरण की कृषि भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है :-

(क) चक नंबर 11 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 72/49 के पत्थर नंबर 115/217 (4) के किला नंबर 16, 25 कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदिया संलग्न वादपत्र है।

यह कि वादपत्र की दफा 2 में वर्णित कुल 0.506 है0 में वादी के नाम 253/506 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 12418/506 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 12722/506 हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज कृषि भूमि वादी को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.05.2010 को विक्रय कर दी है। इस प्रकार वादी उक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि का उक्त पंजीकृत बैयनामा के आधार पर खातेदार काश्तकार है जिसकी घोषणा वादी अपने नाम से करवाने का अधिकारी व दावेदार है। वादपत्र की

ख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ने घराघरा बंट्वारा किया हुआ ाबिक घराघरू बंटवारा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज दर्ज उक्त खाता की कृषि भूमि वादी प्त हुई है लेकिन इस खाता में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम दर्ज होने के कारण व उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज नही होने से वादी के हक, हकूक पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, ? वादी इस आशय की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है कि वादी चक नंबर ल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 72/49 थर नंबर 115/217 (4) के किला नंबर 16, 25 कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी का एकल र काश्तकार है तथा इस खाता से प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 का नाम कलमजन करवाने धिकारी है।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण से अर्सा सात दिवस पूर्व निवेदन किया कि वे वादपत्र की दफा में वर्णित समस्त कृषि भूमि का वादी को खातेदार होना स्वीकार कर उसके नाम घोषणा कर वादी के नाम करवा देवें लेकिन वे इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। यह कि प्रतिवादी ा 3 भू-धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

यह कि वादपत्र में वर्णित आराजी माननीय न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में स्थित है, लेए वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर र मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

: वादपत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादप वादी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें :-

. कि घोषणा फरमाई जावें कि वादी चक 11 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 72/49 के पत्थर नंबर 115/217 (4) के किला नंबर , 25 कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी का एकल खातेदार काश्तकार है तथा इस खाता से तेवादीगण सख्या 1 व 2 का नाम कलमजन फरमाया जावे।

- कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

- कि अन्य कोई अनुतोष जो न्यायोचित हो, वादी के पक्ष में जारी फरमाया जावें।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त प्रतिवादीगण की तलबी जारी की ई। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2, 4 ता 6 द्वारा वाद पत्र में राजीनामा पेश किया गया जो ाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष को सुना गया। वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक सहमति के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद-पत्र वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि:- चक 11 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 72/49 के पत्थर नंबर 115/217 (4) के किला नंबर 16, 25 कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी का एकल खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है तथा इस खाता से प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि)

सार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक ...21..11..2025.. को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से पाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ